UPAG010135252025

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, आगरा
पीठासीन अधिकारी– (श्री संजय कुमार मलिक), (उ०प्र० न्यायिक सेवा) – UP01906
दाण्डिक निगरानी संख्या–932/2025

हरिओम धाकरे पुत्र जोरावर सिंह, निवासी–ग्राम कुण्डौल, थाना–डौकी, जिला–आगरा, उम्र करीब 46 वर्ष।

.....निगरानीकर्ता

प्रति

1. राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक, आगरा।

2. अमरनाथ शर्मा पुत्र राजवीर सिंह, निवासी–गैहनू, थाना–डौकी, जिला–आगरा।

.....विपक्षीगण

संबंधित परिवाद संख्या–721/2024
अन्तर्गत धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम
थाना–डौकी, जिला–आगरा।

–: निर्णय :–

1. यह दाण्डिक निगरानी, विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आगरा द्वारा प्रकीर्ण वाद संख्या–136/2025 अमरनाथ बनाम हरिओम, थाना–डौकी, जिला–आगरा में पारित आदेश दिनांकित 14.10.2025 के विरूद्ध संस्थित की गई है जिसके माध्यम से निगरानीकर्ता/आवेदक द्वारा न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, फतेहाबाद आगरा में लम्बित परिवाद संख्या–721/2024 अमरनाथ शर्मा बनाम हरिओम, अन्तर्गत धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, जिला–आगरा, को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने हेतु प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र को निरस्त किया गया है।

2. निगरानीकर्ता का निगरानी में संक्षिप्तः कथन इस प्रकार है कि विपक्षी संख्या–2/परिवादी की ओर से उपरोक्त परिवाद, न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, फतेहाबाद आगरा, में संस्थित किया गया जिसमें संज्ञान होने के बाद निगरानीकर्ता/आवेदक को, जो अन्य केस में जिला जेल आगरा में निरूद्ध था, विपक्षी संख्या–2 द्वारा स्वयं तलबी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर जिला कारागार आगरा से दिनांक 10.12.2024 को तलब कराया गया। निगरानीकर्ता/आवेदक के जेल में होने के उपरान्त विपक्षी संख्या–2 द्वारा परिवाद मामले में साक्ष्य शपथपत्र दिनांक 25.02.2025 को दाखिल किया गया जिसकी प्रति उसी दिन निगरानीकर्ता ने प्राप्त की किन्तु पत्रावली जिरह हेतु नियत किये जाने के स्थान पर पत्रावली साक्ष्य हेतु नियत

की गई, उसके जेल में होने के चलते पत्रावली जिरह हेतु नियत नहीं की गई। निगरानीकर्ता/आवेदक की जमानत दिनांक 19.04.2025 को स्वीकार की गई किन्तु अन्य मुकदमे में जेल में होने के कारण दिनांक 07.05.2025 को न्यायालय हाजिर नहीं हो सका तथा न्यायालय द्वारा उसके अजमानतीय वारण्ट किये गये, जेल से छूटने के बाद दिनांक 19.07.2025 को अजमानतीय अधिपत्र निरस्त कराये। दिनांक 02.09.2025 को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–06, आगरा में लम्बित अन्य मुकदमे एस0एस0टी0 संख्या–469/2014 राज्य प्रति हरिओम आदि थाना सदर आगरा में वह अपनी तारीख करने आगरा आया हुआ था तथा उसने अपने अधिवक्ता से हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र फतेहाबाद न्यायालय में प्रस्तुत कराया परन्तु बिना कोई अंतिम अवसर दिये और अधिवक्ता को सूचित किये उसके पुनः अजमानतीय वारण्ट जारी कर दिये गये, ऑर्डरशीट पर कटिंग की गई तथा वारण्ट जारी करने के बाद 5, 8, 10, 15 दिनों की तिथियां नियत कीं गयीं, परिवादी के अधिवक्ता द्वारा निगरानीकर्ता/आवेदक को धमकाया गया कि जैसा वह चाहेगा, न्यायालय वैसा ही आदेश करेगा। दिनांक 02.09.2025 को वारण्ट जारी होने के बाद अजमानतीय वारण्ट निरस्त करने हेतु प्रार्थनापत्र दिया गया तो न्यायालय द्वारा जेल भेजने को कहा गया तब उसके अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र वापस ले लिया गया तथा न्यायालय द्वारा दिनांक 24.09.2025 को अजमानतीय वारण्ट के साथ प्रतिभूओं को नोटिस एवं धारा–82 दं0प्र0सं0 की कार्यवाही की गई जिसके सम्बन्ध में न्यायालय की कार्यशैली के विरूद्ध श्रीमान् प्रशासनिक न्यायाधीश, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं प्रशासनिक अनुभाग, जनपद न्यायालय, आगरा में दिनांक 25.09.2025 को शिकायत की गयीं। उक्त शिकायत करने के बाद संबंधित न्यायालय से न्याय मिलना सम्भव नहीं है। पत्रावली के स्थानान्तरण हेतु न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आगरा में स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया जो विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक तौर पर अवलोकन किये बिना ही पारित आदेश दिनांकित 14.10.2025 के माध्यम से निरस्त कर दिया गया। इन तथ्यों के आधार पर विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आगरा द्वारा पारित आदेश दिनांकित 14.10.2025 को अपास्त करते हुए स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र को स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गई है।

3. विपक्षी संख्या–1 राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक द्वारा निगरानी का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश में कोई त्रुटि एवं अवैधानिकता नहीं है तथा निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

4. विपक्षी संख्या–2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए, उनकी ओर से प्रार्थनापत्र 10ब मय वकालतनामा 11ब प्रस्तुत करते हुए नकलें दिलाये जाने का अनुरोध किया गया, उन्हे नकलें प्रदान की गयीं, उनकी ओर से लिखित जवाब

दाखिल करते हुए निगरानी में वर्णित समस्त प्रस्तरों के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी न करने का कथन करते हुए यह वर्णित किया गया है कि प्रकरण के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट संख्या–43763/2025 दाखिल की गई है जो विचाराधीन है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशानुसार वाद की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष लम्बित प्रकरण/प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–528 BNSS संख्या–43763/2025 हरिओम धाकरे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांकित 10.11.2025 की प्रति दाखिल की गई है जिसके अनुसार परिवाद संख्या–721/2024 अमरनाथ बनाम हरिओम, अन्तर्गत धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, जिला–आगरा की अग्रिम कार्यवाही को अग्रिम तिथि सूचीबद्ध होने तक स्थगित कर दिया गया है।

5. यहां यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी निगरानीकर्ता अथवा विपक्षी संख्या–2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हो रहे हैं जबकि दिनांक 06.05.2026 को पारित आदेशानुसार अंतिम अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 06.06.2026 नियत की गई परन्तु दिनांक 06.06.2026 को भी निगरानीकर्ता अथवा विपक्षी संख्या–2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। चूंकि यह एक दाण्डिक निगरानी है जिसका निस्तारण गुण–दोष के आधार पर किया जाना आवश्यक है। अतः विपक्षी संख्या–1 राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक को सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

6. इस निगरानी को निर्णीत करने के लिये आवश्यक तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्ता/आवेदक की ओर से न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आगरा के समक्ष न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, फतेहाबाद आगरा में लम्बित परिवाद संख्या–721/2024 अमरनाथ शर्मा बनाम हरिओम, अन्तर्गत धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, जिला–आगरा को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने हेतु स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया जिसे विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आगरा द्वारा पारित आदेश दिनांकित 14.10.2025 के अनुसार यह सम्प्रेक्षण करते हुए कि ''चूंकि प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि पीठासीन अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं जबकि वर्तमान में उक्त न्यायालय के पूर्व पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पोषणीय न होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है'', निरस्त किया गया।

7. उपरोक्त सम्प्रेक्षण के अवलोकन करने के उपरान्त निगरानी न्यायालय की राय में विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निगरानीकर्ता/आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र में उचित आधार न पाते हुए निरस्त किया गया है। विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करने में न तो कोई तात्विक अनियमित्ता बरती गई है और न ही निगरानीकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा

उपस्थित होकर ऐसा कोई तर्क प्रस्तुत कर सके हैं कि आक्षेपित आदेश पारित करते समय किस प्रकार विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा कोई अनियमित्ता का कोई दुरूपयोग किया गया हो, बल्कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पायी जाती है। अतः प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी में कोई बल नहीं है और निरस्त किये जाने योग्य है। यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष योजित याचिका अन्तर्गत धारा–528 BNSS संख्या–43763/2025 हरिओम धाकरे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांकित 10.11.2025 के अनुसार संबंधित न्यायालय के समक्ष लम्बित परिवाद संख्या–721/2024 अमरनाथ बनाम हरिओम, अन्तर्गत धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, जिला–आगरा की अग्रिम कार्यवाही को अग्रिम तिथि सूचीबद्ध होने तक स्थगित कर दिया गया है।

–: आ दे श :–

यह दाण्डिक निगरानी निरस्त की जाती है। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, फतेहाबाद आगरा में लम्बित परिवाद संख्या–721/2024 अमरनाथ शर्मा बनाम हरिओम, अन्तर्गत धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, जिला–आगरा, को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने हेतु न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आगरा में संस्थित किये गये प्रकीर्ण वाद संख्या–136/2025 अमरनाथ बनाम हरिओम, थाना–डौकी, जिला–आगरा में विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आगरा द्वारा पारित आदेश दिनांकित 14.10.2025 पुष्ट किया जाता है।

इस निर्णय/आदेश की एक प्रति सम्बन्धित न्यायालय एवं न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आगरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रति–प्रेषित की जायें। तदोपरान्त यह पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाये।

(संजय कुमार मलिक)
सत्र न्यायाधीश,
दिनांकः 15.06.2026 आगरा।

आज यह निर्णय एवं आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

(संजय कुमार मलिक)
सत्र न्यायाधीश,
दिनांकः 15.06.2026 आगरा।

Digitally signed by SANJAY KUMAR MALIK
Date: 2026.06.15 13:15:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court